इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 – पावर सेक्टर, बिजली कर्मचारियों और बिजली के उपभोक्ताओं के लिए एक प्रतिगामी जनविरोधी कदम

इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के जरिए केंद्र सरकार एक ही क्षेत्र में एक से अधिक विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत वितरण का लाइसेंस देने का कार्य करने जा रही है। सरकार यह दावा कर रही है कि इससे बिजली के उपभोक्ताओं को मोबाइल के सिम कार्ड की तरह चॉइस मिलेगा किंतु दरअसल यह चॉइस बिजली के उपभोक्ताओं को नहीं अपितु निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का चॉइस होगा।

नए प्राविधान के अनुसार नई विद्युत वितरण कंपनियां मौजूदा सरकारी विद्युत वितरण कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर बिजली वितरण का काम करेंगी। निजी क्षेत्र की नई विद्युत वितरण कंपनियों के लिए यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन अर्थात सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने की बाध्यता नहीं होगी। यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन केवल सरकारी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी के लिये ही होगा।

आइए इस प्राविधान का सही अर्थ क्या है यह समझते हैं। बिजली के उपभोक्ताओं की कई श्रेणियां होती हैं। यदि दो श्रेणी में बांटे तो एक श्रेणी ऐसे उपभोक्ताओं की होती है जिन्हें लागत से कम मूल्य पर बिजली आपूर्ति की जाती है और एक श्रेणी ऐसे उपभोक्ताओं की होती है जिन्हे लागत से थोड़ा अधिक मूल्य पर बिजली आपूर्ति की जाती है। लागत से कम मूल्य पर बिजली की आपूर्ति मुख्यतः कृषि क्षेत्र के लिए किसानों को, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे घरेलू उपभोक्ताओं को और 500 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की होती है। लागत से कुछ अधिक मूल्य पर उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली दी जाती है। नए प्राविधान के अनुसार जब निजी वितरण कंपनियों को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने की बाध्यता नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कम्पनियाँ घाटे वाले उपभोक्ताओं को बिजली नहीं देंगी और केवल मुनाफे वाले क्षेत्र में ही कार्य करने के लिए लाइसेंस लेंगी। परिणामस्वरूप सरकारी बिजली कम्पनी के पास से मुनाफे वाले उपभोक्ता चले जायेंगे और पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी बिजली कंपनी बाई डिफॉल्ट लॉस मेकिंग अर्थात घाटे वाली कंपनी बन कर रह जाएगी। साफ है कि यह इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 उपभोक्ता को चॉइस नहीं अपितु निजी कंपनियों को चॉइस देने वाला बिल है।

बिल में यह भी प्राविधान किया गया है कि निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां सरकारी बिजली वितरण कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी और सरकारी कंपनी को इस हेतु निजी कंपनियों को पूरी छूट देनी होगी। इस प्रकार निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां नेटवर्क के निर्माण और परिचालन व अनुरक्षण पर कुछ भी खर्च किये बिना सरकारी बिजली वितरण कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर मुनाफा कमाने का काम करेंगी। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ ही बिजली का लोड बढ़ेगा और यह सारा नया नेटवर्क सुदृढ़ बनाने का काम भी सरकारी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी ही करेगी। निजी क्षेत्र की कंपनियां मात्र व्हीलिंग चार्ज देकर सरकारी नेटवर्क के जरिये मुनाफा कमाने का काम करेंगी।

निजी क्षेत्र की नई बिजली वितरण कंपनियों का यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन नहीं होगा अतः निजी क्षेत्र की नई विद्युत वितरण कंपनियां स्वाभाविक तौर पर केवल मुनाफे वाले क्षेत्र में अर्थात औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ही बिजली आपूर्ति करेंगे इस प्रकार मुनाफे वाला क्षेत्र सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों से चला जाएगा। जिन उपभोक्ताओं को हम लागत से कम मूल्य पर बिजली देते हैं उसे सब्सिडी कहते हैं और जिन उपभोक्ताओं को लागत से थोड़ा अधिक दाम पर बिजली देते हैं उसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं।

इलेक्ट्रिसिटी(अमेंडमेंट) बिल 2022 में यह प्राविधान किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 61(जी) में संशोधन किया जाएगा और विद्युत वितरण लाइसेंसी को बिजली की पूरी लागत वसूलने हेतु अधिकार दिया जाएगा। राज्य का विद्युत नियामक आयोग हर श्रेणी के उपभोक्ता के लिए केवल अधिकतम और न्यूनतम टैरिफ निर्धारित करेगा। इस प्रकार टैरिफ नीति में बदलाव होने से सब्सिडाइज्ड उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा आघात लगने वाला है। देश में उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली पहुंचाने की औसत लागत रु 7.45 प्रति यूनिट है। निजी कंपनियों को कंपनी एक्ट के तहत इस पर कम से कम 16% मुनाफा लेने का अधिकार है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली का टैरिफ कम से कम 9 से 10 रु प्रति यूनिट तक हो जाएगा।

एक किसान यदि 7:50 हॉर्स पावर का पंपिंग सेट सिंचाई के लिए प्रयोग करता है और 6 घंटे प्रतिदिन इसे चलाता है तो प्रतिदिन लगभग 34 यूनिट बिजली खर्च होगी। 10 रु प्रति यूनिट के हिसाब से किसान को प्रतिदिन 340 रुपए अर्थात महीने में 10000 रुपए से अधिक बिजली बिल के देने होंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और आम उपभोक्ताओं को भी बिजली की चोट बर्दाश्त करनी पड़ेगी।

उपभोक्ताओं पर चोट का एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। केंद्र सरकार ने राज्य की बिजली उत्पादन कंपनियों पर 10% कोयला आयात करने के लिए बेजा दबाव डाला और यह आदेश कर दिया कि जो उत्पादन कंपनियां 15 जून 2022 तक 10% कोयला आयात करना प्रारंभ नहीं करेंगे उनके घरेलू कोयला आवंटन में 5% की कटौती की जाएगी और 31 अक्टूबर 2022 तक उन्हें 15% कोयला आयात करना पडेगा। आयातित कोयले का मूल्य लगभग 20000 रु प्रति टन है जबकि घरेलू कोयले का मूल्य 2000 से 3000 रु प्रति टन है। आयातित कोयले की यह बढ़ी हुई लागत आम उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए पहले केंद्र सरकार ने एक आदेश कर, ऐसे बिजली घरों के लिए जो आयातित कोयले के लिए ही बनाए गए हैं, बिजली खरीद करार में परिवर्तन करते हुए बिजली की दरें रु 2.24 से बढ़ाकर रु 6.11 प्रति यूनिट तक कर दी। अब केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादन घरों को बिजली की दरें बढ़ाने की अनुमति दे दी है और राज्यों ने भी आयातित कोयले का दाम आम उपभोक्ताओं से वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 30 जुलाई को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में आयातित कोयले का दाम वसूलने के लिए 6 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी है। एक प्रकार से आयातित कोयले का भार आम उपभोक्ता पर डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इलेक्ट्रिसिटी(अमेंडमेंट) बिल 2022 के जरिए किसानों और आम घरेलू उपभोक्ताओं की सब्सिडी समाप्त कर दी जायेगी, आयातित कोयले का भार उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा और मल्टीपल सप्लाई लाइसेंस की प्रणाली विकसित करने में सॉफ्टवेयर और मीटरिंग पर आने वाला अरबों खरबों रुपये का खर्च भी आम उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा।

इलेक्ट्रिसिटी(अमेंडमेंट) बिल 2022 आम उपभोक्ता की कमर तोड़ देगा। विगत वर्ष केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित तौर पर यह वचन दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी(अमेंडमेंट) बिल को संसद में रखने के पहले किसानों और सभी स्टेकहोल्डर्स से विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। किसानों, बिजली कर्मियों और आम उपभोक्ताओं से कोई चर्चा किये बिना संसद में यह बिल पारित कराने की तैयारी है जो केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त किसान मोर्चे को दिए गए आश्वासन का खुला उल्लंघन है।

इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन के नाम पर यह सरासर धोखा है जिस का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण यह कदापि स्वीकार्य नहीं है। पावर सेक्टर बचाओ देश बचाओ का संकल्प लेकर देश के किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली कर्मचारियों–इंजीनियरों के साथ लामबंद होकर देश हित में निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहने का समय आ गया है। हम पावर सेक्टर को चंद कारपोरेट घरानों के हाथ बंधक नहीं बनने देंगे।

बिजली हमारा बुनियादी अधिकार है।
पावर सेक्टर बचाओ देश बचाओ।।
– इंकलाब जिंदाबाद –

– नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लोयीस एंड इंजीनियर्स द्वारा जनहित में जारी –